

सी.जी.-डी.एल.-सा.-18022025-261116 CG-DL-W-18022025-261116

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 03] नई दिल्ली, फरवरी 9—फरवरी—15, 2025, शनिवार/माघ 20—माघ 26, 1946 No. 03] NEW DELHI, FEBRUARY 9— FEBRUARY—15, 2025, SATURDAY/MAGHA 20– MAGHA 26, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 8.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (मुख्य कवायद अनुदेशक) भर्ती नियम 2018, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में मुख्य कवायद अनुदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

(मुख्य कवायद अनुदेशक), भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं। 3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मुख्य कवायद अनुदेशक	1* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 10 (56100- 177500 रु.)	लागू नहीं होता

अनुसूची

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	व्यक्तियों के लिए विहित	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में	गति विभागीम मोलनि मनिन कें -रे	भर्ती करने में किन
वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन	-	परिस्थितियों में संघ लोक
किया जाएगा।		सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वाशासी निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के अधीन अधिकारी,-	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सद्दश पद धारण किए हुए हों; या		
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53100 -167800 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या		
(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो; या		
(iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रु.) या समतुल्य में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या		
(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात:-		
आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; और		
(ii) किसी केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों या स्वाशासी निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में प्रशिक्षण देने वाले ड्रिल प्रशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।		
वांछनीय:		
बाह्य प्रशिक्षण क्रियाकलापों की योजना बनाने, समन्वय करने और संचालन करने का एक वर्ष का अनुभव।		
टिप्पण 1 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
टिप्पण 2 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 23011/16/2024–पी.टी.]

चंदन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 7th February, 2025.

G.S.R. 8.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Chief Drill Instructor) Recruitment Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Drill Instructor in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, under the Ministry of Home Affairs, namely: -

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Chief Drill Instructor) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Scheduled annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Chief Drill Instructor.	1*(2025) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Level – 10 in the pay matrix (Rs. 56100 - 177500).	Not applicable.	Not applicable.

SCHEDULE

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	1 /	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research institution,-	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.
(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or		
 (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800) or equivalent in the parent cadre or department; or 		
 (iii) with four years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-8 in the pay matrix (Rs. 47600 – 151100) or equivalent in the parent cadre or department; or 		
 (iv) five years regular service in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900 – 142400) or equivalent in the parent cadre or department; and 		
(b) possessing the following education qualifications and experience, namely :-		
Essential: (i) Bachelor degree from a recognised University or institute; and		
(ii) three years experience as Drill Instructor imparting training in any Central or State or Union territory Police Training Centres or in autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research institution.		
Desirable:		
One year experience of planning, coordinating and conducting outdoor training activities.		
Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		
Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		